हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 11.11.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा चवाद के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नंबर 198 की खातेदारी वादीगण ओमप्रकाश, भानूप्रकाश, रामरतन के हक बंट में चाही गई है एवं खसरा नंबर 19, 81 जमाबंदी में डोली दर्ज होने तथा विभाजन खातेदारी से प्रतिबंधित भूमि किस्म होने के कारण इन भूमियों को यथावत यथास्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खाता संख्या 109 में रखी गई है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क लिया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने उक्त विभाजन/बंटवाड़े में किसी प्रकार की उजर आपति भी प्रस्तुत नहीं की तथा सहमति से बंटवाड़े की इच्छा जाहिर की है। अतः मौजा चवाद के खेत खसरा नंबर 198 की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 मुरलीधर के साथ सहखातेदार घोंषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

**– : : आदेश : : –**

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा चवाद के खेत खसरा नंबर 198 की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 मुरलीधर के साथ सहखातेदार घोषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीगण भानूप्रकाश , ओमप्रकाश , रामरतन के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा चवाद का खेत खसरा नंबर 198 रकबा 13.6136 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खेत खसरा नंबर 81, 19 डोली नोट होने के कारण यथावत यथास्थिति में रखे गये है।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

20/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल



Scanned with CamScanner